यह निरीक्षण प्रतिवेदन ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखंड चंपावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़ देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखंड चंपावत के माह 09 / 2016 से 01 /2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री दया शंकर वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22-02 -2018 से 07-03-2018 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी /लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.09.16 से 29.09.2016 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से 09/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई द्वारा डपॉज़िट कार्य कया जाता है। जिसमे भवन बनाना तथा सड़क निर्माण करना शा मल है।
3. (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

उपरोकतानुसार

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारं भक शेष		स्थापना		गैर स्थापना		गैर स्थापना	
	❖ स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य	बचत
2014-15	0.00	449.19	108.86	106.54	1268.38	571.92	0.00	1145.66
2015-16	0.00	1145.65	125.33	108.76	827.51	863.91	0.00	1109.25
2016-17	0.00	1109.25	136.80	136.80	725.76	769.63	0.00	1065.38

❖ स्थापना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बजट सम र्पत

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष`	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+)`	बचत (-)`
2014-15	सम वकास	00.00	2.75	2.75	0.00
	सर्व शक्षा	00.00	13.49	13.49	0.00
	दैवीय आपदा	00.00	38.91	38.91	0.00
	सांसद नि ध	00.00	8.53	2.53	6.00
	बी0ए0डी0पी0	00.00	19.17	9.85	9.32
2015-16	बी0ए0डी0पी0	00.00	9.32	9.32	0.00
	सांसद नि ध	00.00	11.65	11.65	0.00
2016-17	बी0ए0डी0पी0	00.00	153.60	45.20	108.40
	सांसद नि ध	00.00	2.60	2.41	0.19

(iii) इकाई का बजट राज्य सरकार के वभाग से निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त रा श से कया जाता है। (अ) श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. मुख्य अ भयंता 2- अधीक्षण अ भयंता 3- अ धशाषी अ भयंता 4- सहायक अ भयंता 5- अवर अ भयंता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में सड़क निर्माण कार्यो का निरीक्षण कया गया तथा एक राजकीय पशु प्रजनन क्षेत्र नारियालगांव चंपावत मे व भन्न निर्माण कार्य के निर्माण से संबन्धित योजना भी देखी गई थी का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

1. वर्ष **2014-15, 2015-16** एवं **2016-17** के समस्त सड़क निर्माण कार्य **2.** राजकीय पशु प्रजनन क्षेत्र नारियालगांव चंपावत मे व भन्न निर्माण कार्य

लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1- प्रतिधारक दीवारों के निर्माण मे आई आर सी एस पी:48 पहाड़ी मार्ग मैनुअल की व शष्टियों एवं ड्राइंग्न्स के वपरीत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप रु 52.46 लाख की धनरा श का अपरिहार्य व्यय।

कार्यालय अ धशाषी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड चंपावत के लेखा अ भलेखो की नमूना जांच के दौरान पाया गया क फरवरी में प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 12.02.14 दिनांक/13/अ धप्राप्ति 10/2016 के द्वारा प्रतिधारक दीवारो (Retaining Walls) की व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स आई आर सी एस पी) पहाड़ी मार्ग मैन्युअल-48:IRC SP:48-Hill Road Manual) के प्रावधानों के आधार पर जारी करते हुए इन व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु समस्त अ भयन्ताओं को निर्दे शत कया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अ भयंता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, देहारादून को भी अनुपालनार्थ प्रष्ठां कत की गयी थी।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अ भयंता,ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा पत्रांक- 2501/ग्रा0अ0से0/शेड्यूल ऑफ रेट्स/2013-14 दिनांक 22.02.2014 के द्वारा प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अ भयन्ताओं को निर्दे शत कया गया था एवं उक्त पत्र की प्रति लप समस्त अ धशासी अ भयन्ताओं, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रे षत की गयी थी उक्त व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने अपने वभागों में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यालय ज्ञाप मे जारी व शष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिथारक दीवारों को आर आर ड्राई स्टोनर मेसनरी के द्वारा निर्माण कराया जाना था, 04 मीटर से 08 मीटर उंचाई तक की प्रतिथारक दीवारों को आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी 1:6 के द्वारा निर्माण कराया जाना था एवं 08 मीटर से अ धक ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों के निर्माण से बचा जाना चाहिए परंतु अपरिहार्य परिस्थितियो मे इनको सीढ़ीनुमा 1:06 सीमेंट एवं सैंड मोर्टार मे ड्राइंग के अनुसार कया जाना चाहिए।

जब क कार्यालय अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड चंपावत के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के निर्माण कार्यो के निष्पादन से संबन्धित अ भलेखो की जांच के दौरान पाया गया की (संलग्नक-अ) के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गो के निर्माण कार्यो से

संबन्धित गठित 23 अनुबन्धों एवं कार्यदेशों के अंतर्गत 04 मीटर से कम की प्रतिधारक दीवार को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number/01 RW/2014) के स्थान पर आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मेसनरी मे निष्पादित कराते हुए रु 146.16 लाख का कार्य कराया गया। जब क 04 मीटर तक क ऊंचाई क प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप मे आर सी एस पी:48 पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी मे निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यो के निष्पादन पर रु 93.69 लाख क धनरा श ही व्यय करनी पड़ती । इस प्रकार 04 मीटर ऊंचाई तक क प्रतिधारक दीवारों को कार्यालय ज्ञाप मे जारी व शष्टियों के वपरीत आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मेसनरी मे निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप रु 52.46 लाख क धनरा श का अपरिहार्य व्यय कया गया।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड चंपावत द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया गया क क कार्यस्थल क आवश्यकता के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक क प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी के स्थान पर आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मोर्टार मेसनरी मे निष्पादित कराया गया। तथा उक्त कार्यो क तकनीकी स्वीकृति आंगणन मे अधीक्षण अ भयंता से प्राप्त क गई थी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क प्रखण्ड स्तर पर वभागाध्यक्ष स्तर से आई आर सी एस पी :48 पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण मे सक्षम प्रा धकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त क गई। जिसके परिणामस्वरूप रु 52.46 लाख क धनरा श का अपरिहार्य व्यय हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण मे प्रतिधारक दीवारों के निर्माण मे आई आर सी एस पी:48 पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर जारी व शष्टियों के वपरीत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप रु 52.46 लाख क धनरा श के अपरिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

संलंगनक-अ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No.	**Name of the Road**	**Bond No, Date and Amount (in lakh)**	**Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Aggrement ed rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum**	**Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar**	**Aggremented rate of RR dry stone masonry Per Cum**	**Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry**	**Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7-Column 9)**
1	लोहाघाट कम्तौली मोटर रोड कमी**0 08** से नाकोट मोटर मार्ग	07 दिनांक 13/06/2016 रु 1784211.00 लाख	411.99	40.77	1582.09	64501.81	1010.07	41180.56	23321.25
		16 दिनांक 12/07/2016 रु 1427423.52	455.14	152.15	1582.09	240714.99	1010.07	153646.86	87068.13
2	अमोड़ी खटोली से लडाबोरा तक मोटर मार्ग	23 कार्यादेश	------	837.15	2700.0	2260305.00	1771.50	1483011.23	777293.77
				348.12	2695.00	938183.40	1771.50	616694.58	321488.82
3	लोहाघाट डगा लछौड़ रोड के कमी**0 16** से बसेड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण	06 दिनांक 13/06/2016 रु 1700168.63	482.10	452.63	1611.39	729363.45	1028.78	465656.70	263706.75
		15 दिनांक 12/07/2016 रु 2199850.68	411.99	73.42	1611.39	118308.25	1028.78	75533.03	42775.22
4	लोहाघाट चौमेल मोटर मार्ग के शंखपाल से बटौली तक सड़क निर्माण **(3.28** कमी**0)**	09 दिनांक 13/06/16 रु 901396.02	277.39	169.58	1611.39	273259.51	1028.78	174460.52	98798.99
		08 दिनांक 13/06/16 रु 707071.76	241.60	220.30	1611.39	354989.21	1028.78	226640.24	128348.97
		10 दिनांक 13/06/16 रु 790776.16	264.53	94.50	1611.39	152276.35	1028.78	97219.71	55056.64
		01 दिनांक 05/04/2016 रु 1271754.31	382.05	156.29	1517.63	237190.39	968.92	151432.51	85757.88
5	नर सह हाड़ा एडी गुरौली मो**0**मा**0** से नर संह ड़ाड़ा गाँव तक मोटर मार्ग	12 दिनांक 21/03/16 रु 1021699.07	157.81	185.13	1497.15	277167.38	974.33	180377.72	96789.66
		13 दिनांक 21 /03/16 रु 1152544.49	279.81	256.01	1578.82	404193.71	1027.47	263042.60	141151.11
6	टनकपुर	18 दिनांक 07/09/16 रु	23.00	182.45	2055.77	375075.23	1328.25	242339.22	132736.01

	पथौरागढ़ मोटर मार्ग एन0एच0 09 के कमी0 161 से ग्राम च्युरानी जमरेडी तक सड़क निर्माण	2450347.97							
		07 दिनांक 23/05/17 रु 2740637.17	390.00	494.62	2874.73	1421898.95	1831.21	905753.09	516145.86
7	तल्लीधर सब्योली मोटर मार्ग से चानुडूंगरी खयाचीना मोटर मार्ग	02 दिनांक 05/04/16 रु 1441622.60	176.00	237.88	1626.90	387006.97	1034.17	246008.36	140998.61
		03 दिनांक 05/04/16 रु 1613291.77	176.00	237.88	1617.43	384754.25	1028.15	244576.33	140177.92
		05 दिनांक 21/04/16 रु 1260432.40	176.00	334.03	1538.16	513791.58	977.76	326601.18	187190.40
8	धुनाघाट रीठासाहेब मोटर मार्ग चलठिया मड़योली मोटर मार्ग	04 दिनांक 07/04/16 रु 1628308.81	213.50	278.57	1538.16	428485.23	977.76	272374.61	156110.62
		17 दिनांक 11/08/16 रु 1713198.45	213.50	663.58	1479.50	981766.61	940.15	623864.74	357901.87
		23 दिनांक 22/12/16 रु 3930992.46	645.51	329.44	2907.71	957915.98	1848.33	608913.84	349002.14
		22 दिनांक 22/12/16 रु 3933351.05	90	107.62	2913.63	313564.86	1852.10	199323.01	114241.85
		14 दिनांक 30/03/16 रु 1916327.26	213.50	661.21	1567.74	1036605.37	996.56	658935.44	377669.93
		12 दिनांक 18/06/16 रु 1437478.65	213.05	445.39	1508.58	671906.45	958.96	427111.20	244795.25
9	पाटी जौल मैल मोटर मार्ग के कमी0 1 से समटी जौलाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण (1.55 कमी0)	01 दिनांक 06/04/17 रु 3836231.87	380.00	176.14	2958.00	521022.121	860.94	327785.98	193236.14
		04 दिनांक 23/05/17 रु 235648.87	381.50	193.20	2958.00	571485.60	1847.40	356917.68	214567.92
						14615732.65		**9369400.34**	**52,46,331.71**

नोटः- कालम 8 मे आर आर ड्राई का एस ओ आर दर को अनुबंध जितने प्रतिशत कम पर था उतना प्रतिशत कम करके आर आर ड्राई का एस ओ आर दर दिखाया गया है।

<u>भाग दो- (ब)</u>

प्रस्तर 2- शासनादेश के वपरीत रु 48.75 लाख के कार्यादेश निर्गत कया जाना

ग्रामीण सड्को के निर्माण हेतु उत्तराखंड अ धप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु वभागीय पद्ति से कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गए थे। जिसमे रु 3.00 लाख तक के कार्य कार्यादेश पर कार्य आवंटित कए जा संकेंगे तथा तात्का लकता क स्थिति मे रु 5.00 लाख क लागत के कार्यो के कार्यादेश निर्गत कए जा संकेंगे। कार्यादेश निर्गत करने का अ धकार संबन्धित प्रखण्ड के अ धशासी अ भयंता का होगा।

अ भलेखो के निरीक्षण मे पाया गया क निम्न ल खत सड़क निर्माण के कार्यो मे रु 3.00 लाख से अ धक के कार्य कार्यदेश के माध्यम से कराये गए थे, ववरण इस प्रकार है:-

कार्यदेश संख्या एवं माह	कार्य का नाम	कार्यदेश की धनरा श	अ धकारी जिसने कार्यदेश स्वीकृत कया
34/19 माह 11/2016	शंखपाल से बतोली मोटर मार्ग	4.92 लाख	सहायक अ भयंता
35/19 माह 11/2016	डगलीचौर से बसेड़ी	4.65 लाख	सहायक अ भयंता
36/19 माह 11/2016	शंखपाल से बतोली मोटर मार्ग	4.81 लाख	सहायक अ भयंता
37/19 माह 11/2016	शंखपाल से बतोली मोटर मार्ग	4.92 लाख	सहायक अ भयंता
38/19 माह 11/2016	शंखपाल से बतोली मोटर मार्ग	4.96 लाख	सहायक अ भयंता
39/19 माह 11/2016	शंखपाल से बतोली मोटर मार्ग	3.14 लाख	सहायक अ भयंता
40/19 माह 11/2016	लोहाघाट कुंतौली मोटर मार्ग	4.76 लाख	सहायक अ भयंता
41/19 माह 11/2016	शंखपाल से बतोली मोटर मार्ग	4.95 लाख	सहायक अ भयंता
42/19 माह 11/2016	लोहाघाट कुंतौली मोटर मार्ग	4.87 लाख	सहायक अ भयंता
43/19 माह 11/2016	शंखपाल से बतोली मोटर मार्ग	3.14 लाख	सहायक अ भयंता
44/19 माह 11/2016	शंखपाल से बतोली मोटर मार्ग	3.63 लाख	सहायक अ भयंता
	कुल धनरा श	**48.75** लाख	

इकाई से पूछे जाने पर बताया गया क उत्तराखंड अ धकारो के प्रतिनिधायन 2010 के अनुसार सहायक अ भयंता नि वदा आमंत्रण क सीमा रु 10.00 लाख की गई है अतः रु 3.00 लाख एवं रु 5.00 लाख की सीमा के कार्यादेश सहा0 अ भयंता/अ धशासी अ भयंता दोनों द्वारा निर्गत कए जा सकते है।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क नि वदा आमंत्रण की सीमा और कार्यादेश निर्गत करने की सीमा दोनों अलग अलग है। तथा 2015 के उक्त संशो धत नियमावली मे यह स्पष्ट है क रु 3.00 लाख से ऊपर के कार्यादेश तात्का लक परिस्थितियो मे ही जारी कए जा

सकते है। तथा उक्त नियमावली के अनुसार सड़क निर्माण मे कार्यादेश निर्गत कए जाने का अ धकार अ धशासी अ भयंता का ही है न क सहायक अ भयंता का। तथा सडक निर्माण से संबन्धित सभी कार्य तात्का लक परिस्थिति के नहीं थे और न ही कार्यादेश निर्गत करते समय तात्का लक परिस्थितियो का कोई उल्लेख कया गया था।

अतः शासनादेश के वपरीत रु 48.75 लाख के कार्यादेश निर्गत कये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग दो- (ब)</u>

प्रस्तर 3- कार्य की पद्धति मे परिवर्तित करवाए जाने के कारण रु 23.27 लाख की हानि।

जी पी डब्लू 9 मे ठेके की सामान्य शर्तो क कं डका 4.5 मे यह स्पष्ट कया गया है क यदि कार्य मे कन्ही कारणो से वलंब होता है जो ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर हो या ठेकेदार जिसके लए जिम्मेदार न हो तो ऐसी दशा मे ठेकेदार घटना के 14 दिनो के अंदर इंजीनियर-इन-चार्ज को ल खत मे नोटिस देगा तथा इंजीनियर-इन-चार्ज या तो समयवृद् ध देगा या कार्य के पूर्ण कए जाने क अव ध कों पुनः निर्धारित करेगा। जी पी डब्लू 9 मे कही पर यह इं गत नहीं है क कार्य क पद्धति ही बदलकर दूसरी पद्धति से कार्य करवाया जायगा।

अ भलेखो के निरीक्षण मे पाया गया क निम्न ल खत कार्य मे नि वदा पद्धति से कार्य करवाया जा रहा था। निम्न कार्य के लए ठेकेदारो से कया गया अनुबंध प्रांक लत रा श से 45 से 48 प्रतिशत कम पर था। कन्तु कार्यो को ठेकेदारो के माध्यम से पूर्ण न करवाकर मध्य मे ही बंद कर ठेकेदार के बिल का अनति मकरण कर दिया गया तथा कार्य क नि वदा पद्धति को बदलकर शेष कार्य कार्यदेश के माध्यम से करवाया गया/जा रहा है। जो जी पी डब्लू 9 मे ठेके की सामान्य शर्तो के वपरीत था तथा अनुबंध से कार्य न करवा कर कार्यदेश के माध्यम से कराये जाने के कारण चमैल से शंखपाल मोटर मार्ग मे रु 23.27 लाख[1] की प्रखण्ड को हानि हुई।

कार्य का नाम	अनुबंध सं0	अनुबंध की रा श (नि वदा के माध्यम से कए गए कार्य)	बिल के अंति मकरण क रा श	शेष कार्य जिनको कार्यदेश के माध्यम से करवाया गया
चमैल से शंखपाल	08/ई ई 13/06/16	9.01 (प्रांकलन से 45% कम पर)	5.63 लाख	कार्यदेश सं0 34/19, 36/19, 37/19,38/19 39/19, 41/19, 43/19 एवं 44/19 क्रमशः रु 4.91 लाख, 4.80 लाख 4.92 लाख,4.95 लाख ,3.13 लाख ,4.84 लाख , 3.13 लाख, 3.62 लाख
	09/ई ई 13/06/16	7.07 (प्रांकलन से 45% कम पर)	6.66 लाख	
	10/ई ई/13/06 /16	7.90 (प्रांकलन से 45% कम पर)	4.85 लाख	
	01/ई ई/ 05/04/16	12.71 (प्रांकलन से 48.2%	8.52 लाख	

[1](9.01 +7.07+7.9+12.71 =36.69) -
(5.63+6.66+4.85+8.52+4.92+4.91 +4.80+4.84+3.62+3.13+3.13+4.95=59.96)=(-) 23.27 लाख

		कम पर)		

इकाई से पूछने पर बताया गया क कार्यस्थल के ववाद के उपरांत तत्समय गतिमान अनुबंधों के अंति मकरण/अंतिम माप उपरांत कार्य को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यदेश निर्गमन क्षमता के अनुसार कार्य करवाया गया।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क जी पी डब्लू 9 मे यह स्पष्ट अं कत है क यदि कार्य मे वलंब होता है जो ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर हो या ठेकेदार जिसके लए जिम्मेदार न हो तो ऐसी दशा मे ठेकेदार घटना के 14 दिनो के अंदर इंजीनियर-इन-चार्ज को ल खत मे नोटिस देगा। तथा इंजीनियर-इन-चार्ज तदनुसार कार्यवाही करेगा। जब क उक्त कार्य मे जी पी डब्लू 9 क शर्त का पालन न करके प्रखण्ड द्वारा su-motto तरीके से नि वदा पद्धति को कार्यदेश मे परिवर्तित करके कार्य करवाया गया जिससे कार्य की पद्धति मे परिवर्तित करवाए जाने के कारण प्रखण्ड को रु 23.27 लाख की हानि हुई।

भाग दो- (ब)

प्रस्तर 4- अनिय मत पद सृजन के कारण ₹ 2.94 लाख की हानि।

उत्तराखंड वत्तीय नियमावली खंड 6 के प्रस्तर 667 मे यह स्पष्ट कया गया है क कार्य प्रभारित संस्थापन ऐसे संस्थापन को शा मल करेगा, जो वनिर्दिष्ट कार्य के या वनिर्दिष्ट परियोजना के उप कार्य के वास्त वक निष्पादन पर नियोजित है तथा कार्य आ भकर्ताओ को कार्यों पर प्रभारित करना चाहिए, चाहे वे वभागीय रूप से या सं वदा द्वारा निष्पादित कार्य पर नियोजित कए जाये। अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया क अ धशासी अ भयंता के निर्देशानुसार इकाई द्वारा कार्यालय मे शासकीय कार्यो के संचालन हेतु एक फोटोस्टेट आपरेटर के लए ए श्रेणी के ठेकेदारो से कोटेशन प्राप्त कर माह 02/2014 से 05/2017 तक एक फोटोस्टेट आपरेटर को नियुक्त कया गया था। जिसके लए प्रखण्ड द्वारा आकस्मिक मद से भुगतान कया गया जो प्रस्तर 667 का उल्लंघन था। जिसमे यह स्पष्ट है क मस्त्रिओ तथा कार्य अ भकर्ताओ को वनिर्दिष्ट कार्य पर ही नियोजित कया जा सकता है। शासकीय कार्यो पर नहीं।

इकाई से पूछने पर बताया गया क कोटेशन के आधार पर कार्य कराया जाना पद सृजन नहीं है। प्रखण्ड मे कर्मचारियो की संख्या कम थी अतः कार्य की अ धकता के कारण ठेकेदार के माध्यम से श्र मक को लगाया गया।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क खंड 6 के प्रस्तर 667 मे यह स्पष्ट है क वनिर्दिष्ट कार्य के या वनिर्दिष्ट परियोजना के उप कार्य के वास्त वक निष्पादन पर ही श्र मक नियोजित कया जा सकता है न क शासकीय कार्य के निष्पादन हेतु।

अतः अनिय मत पद सृजन के कारण रु 2.94 लाख की हानि का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो- (ब)

प्रस्तर 5- निक्षेप पंजिकाओ मे अवरुद्ध रा श ₹ 6.32 लाख।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षो तक अदावाकृत ठेकेदारो क जमानत रा श को ठेकेदारो द्वारा मांग नहीं कए जाने पर व्यपगत जमा के रूप मे राज्य सरकार को राजस्व के रूप मे जमा क जानी चाहिए थी। कन्तु निक्षेप जमा पंजिका भाग 2,3, एवं 5 के निरीक्षण मे पाया गया क वर्ष 2004 से 2013 के मध्य जमानत रा श, रोकी गई रा श और अवशेष रा श के रूप मे रु 6.32 लाख अवरूद्ध पड़ी हुई थी। जिसका न तो समायोजन कया जा रहा था न ही वापस कए जाने क कार्यवाही क गई और न ही राजस्व खाते मे अदावकृत रा श के रूप मे जमा कया गया।

इकाई से पूछे जाने पर बताया गया क उल्ले खत रा श का समायोजन कर लया जाएगा तथा जिन रा शयो का समायोजन नहीं हो पाएगा उन्हे राजस्व खाते मे जमा करने के संबंध मे कार्यवाही क जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वतः इस बात क पुष्टि करता है क अवरूद्ध रा शयो के संबंध मे वर्तमान तक कोई भी यथो चत कार्यवाही नहीं क गई थी।

अतः निक्षेप पंजिकाओ मे अवरुद् रा श रु 6.32 लाख का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर	भाग दो- अ	भाग दो- ब	स्टेन
66/2016-17	2	----	2	---

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
66/2016-17	भाग दो- ब 1,2	प्रस्तुत	अनिस्तारित	भाग दो- ब 1,2 अनिस्तारित
127/2014-15	भाग दो- ब प्रस्तर संख्या 1 STAN प्रस्तर संख्या 1	प्रस्तुत	निस्तारित	भाग दो- ब प्रस्तर संख्या 1 STAN प्रस्तर संख्या 1 निस्तारित

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड चंपावत तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

3. शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री जीवन संह धर्मशाक्तू	अ धशासी अ भयंता	11.07.17 तक
2.	श्री युवराज संह अ धशासी अ भयंता	अ धशासी अ भयंता	12.07.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड चंपावत को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.